

12.06½ hrs

Motion for election of two Members to the Coconut Development Board

माननीय सभापति : आइटम नंबर ? 16.

श्री शिवराज सिंह चौहान जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राम नाथ ठाकुर जी ।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : महोदय, श्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

?कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981, यथासंशोधित, के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981, यथासंशोधित, के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
